उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या:-1288/78-1-2020-05आई0टी0/2020

लखनऊः दिनांकः 28 अगस्त, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या:-1198/78-1-2020-05आईटी/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" अधिसूचित की गई है।

2 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। यह नीति विगत "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" को अवक्रमित करती है। तथापि इस नीति की अधिसूचना से पूर्व प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव तथा एक्नॉलेज्ड प्रस्ताव उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत शासित होते रहेंगे।

3 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के बिन्दु 3.2 में व्यवस्था है कि नोडल संस्था के कार्यों की देख-रेख के लिए प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई गठित की जायेगी।

4 उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों यथा- निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन, प्रोत्साहनों के संवितरण, सशक्त समिति को अपनी संस्तुति इत्यादि पर विचार एवं निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

5 नीति कार्यान्वयन इकाई प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में रु 200 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाले निवेश प्रस्तावों के परीक्षण एवं नीतिगत ढांचे के अन्तर्गत उनके अनुमोदन, प्रोत्साहनों के संवितरण, सशक्त समिति को अपनी संस्तुति सहित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। तथापि रू 200 करोड़ से अधिक सम्भावित निवेश वाले प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन हेतु सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

6 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु नामित कार्यदायी/नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्त कार्यकलापों हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-1288 (1)/78-1-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समिति के सदस्यगण।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव